राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक : एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 2017 / 00470 जयपुर, **दिनांक** : 28.09.21

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों के रिजेक्टेड भुगतान के प्रकरणों में त्वरित त्रुटि संशोधन करने के संबंध में।
संदर्भ : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2020 के क्रम में

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 02.10.2021 से आयोजित होने वाले **प्रशासन गांवों के संग अभियान** में अनेक कार्य किये जाने हैं, जिनमें एक महत्त्वपूर्ण कार्य महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के रिजेक्टेड पेमेंट के प्रकरणों में त्वरित त्रुटि संशोधन कर भुगतान की कार्यवाही की जानी है।

वर्तमान में नरेगा–सॉफ्ट पोर्टल के अनुसार राज्य में कुल लगभग 41,000 रिजेक्टेड भुगतान के प्रकरण विभिन्न रूपों में संशोधन के लिए लम्बित हैं। इनमें वर्ष 2021–22 के भी प्रकरणों की संख्या लगभग 7000 है। शेष प्रकरण वर्ष 2014–15 से 2020–21 के हैं **(प्रति संलग्न)**।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान में लगभग तीन–चौथाई प्रकरण पूर्व वर्षों के हैं। चूंकि एक ही श्रमिक प्रतिवर्ष कार्य करता है, अतः यदि उसका खाता संशोधन एक बार नहीं हुआ है, तो उसका भुगतान बार–बार रिजेक्ट होता रहेगा। इसका यह भी तात्पर्य हुआ कि रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन्स की कुल संख्या की तुलना में कुल श्रमिकों की संख्या कम होगी, क्योंकि इसमें एक श्रमिक की गिनती रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन्स में एक से अधिक बार हो सकती है। अतः अभियान के दौरान त्रुटि–संशोधन पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो रहे हैं, उनमें अधिकांश में रिजेक्ट होने के मुख्यतः दो ही कारण हैं–

Scanned with CamScanner

1. **बैंक खाता संख्या गलत होना**, जिसे रिपोर्ट में सामान्यतः No such account के रूप में प्रदर्शित किया जाता है– इसमें श्रमिकों को भुगतान से पूर्व उनके बैंक खाता संख्या को अपडेट कर सही खाता संख्या का इन्द्राज किया जाये।
2. **आधार का सक्रिय न होना**, जिसे रिपोर्ट में सामान्यतः Inactive Aadhaar के रूप में प्रदर्शित किया जाता है– इसमें यदि किसी श्रमिक का आधार का लिंकेज बैंक खाता संख्या के साथ नही है तो श्रमिक के आधार नम्बर को डिलीट कर बैंक खाता संख्या की फीडिंग कर भुगतान की कार्यवाही की जाये।

इस संबंध में **संलग्न तालिका** से स्पष्ट है कि कुल लम्बित प्रकरणों में लगभग आधे प्रकरण केवल 6 जिलों (जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, झालावाड, भीलवाड़ा) के हैं। इसके अतिरिक्त 7 जिलों (धौलपुर, बाड़मेर, भरतपुर, बांसवाडा, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर) में 1000 के आस–पास या उससे अधिक प्रकरण लम्बित हैं। इन समस्त जिलों को अपने स्तर पर सर्वाधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार यह तालिका बनाई गई है, उसी प्रकार एक जिले के भीतर विभिन्न पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी संख्या का अन्तर हो सकता है, जिसकी सूचना जिले स्तर पर प्राप्त कर लें और इसमें अभियान से पूर्व समस्त ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक/ग्राम रोजगार सहायक को सूची देते हुए संशोधन की कार्यवाही करायें। जिस भी पंचायत समिति में 50 से अधिक प्रकरण लम्बित हों या ग्राम पंचायत में 5 से अधिक प्रकरण लम्बित हों, उनमें यदि 15 अक्टूबर 2021 तक संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। भविष्य के लिए भी ऐसे प्रकरण न तो निर्धारित समय सीमा से अधिक लम्बित रहें, इसके लिए उक्तानुसार निरन्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपिः
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,समस्त राजस्थान।
4. अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

Scanned with CamScanner

रिजेक्टेड पेमेंट में त्रुटि संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधी दिशा–निर्देश

1. रिजेक्टेड पेमेंट संबंधी प्रकरणों में सामान्य तौर पर तीन प्रकार की विसंगतियां हो सकती हैं–
   I. नरेगा सॉफ्ट पर श्रमिक के बैंक का आईएफएस कोड या बैंक खाता संख्या त्रुटिपूर्ण रूप में अंकित कर दिया है, जिसमें संशोधन की कार्यवाही की जानी है।
   II. श्रमिक या तो अन्यत्र चला गया है या उसका देहान्त हो गया है या वह अस्तित्व में ही नहीं है।
   III. श्रमिक के परिवार से अलग होने की स्थिति में वर्तमान में उन्हें नया जॉब कार्ड जारी कर दिया है, परन्तु रिजेक्टेड भुगतान पूर्व जॉब कार्ड का है और वह नरेगा सॉफ्ट पर डिलीट है तो उस स्थिति में राज्य स्तर से उसे Resume करवाया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

कार्यवाही संबधी गाईडलाइन

1. सर्वप्रथम नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट संख्या R 8.1.5 के अनुसार जिले एवं पंचायत समिति में पंचायत में ऐसे समस्त रिजेक्टेड पेमेंट की श्रमिकवार सूची निकालें।
2. दिनांक 01 अक्टूबर 2021 तक समस्त ग्राम विकास अधिकारी की पंचायत समिति स्तर पर बैठक बुलाकर उनको यह सूची समस्त निर्देश के साथ प्रदान कर दी जाए।
3. इस सूची को अगले 7 दिन अर्थात् 08 अक्टूबर 2021 तक संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति में जमा कर दिया जाए।
4. पुनः इसे विकास अधिकारी के निर्देश पर अगले 14 अक्टूबर 2021 तक एमआईएस मैनेजर द्वारा यथोचित संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
5. इसके उपरान्त समस्त लम्बित प्रकरणों को तीन भागों में बांटा जाएगा–
   I. श्रमिक अन्यत्र चला गया है।
   II. श्रमिक का देहान्त हो गया है।
   III. श्रमिक अस्तित्व में ही नहीं है।
6. इसमें समस्त सूचना पंचायत समिति वार व जिलेवार गूगल सीट में संकलित कर दिनांक 21.10.2021 तक अपडेट की जाए।

Scanned with CamScanner

District wise Pending Rejected Transaction

SN	Districts	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	Total
1	JALORE	52	122	219	873	515	167	2815	258	**5021**
2	UDAIPUR	821	605	332	485	465	464	1208	406	**4786**
3	PRATAPGARH	275	402	146	101	291	363	1204	893	**3675**
4	BIKANER	291	331	363	215	335	205	247	315	**2302**
5	JHALAWAR	302	173	78	125	173	325	500	446	**2122**
6	BHILWARA	97	81	46	47	37	110	1047	638	**2103**
7	DHOLPUR	607	67	230	110	147	240	346	235	**1982**
8	BARMER	465	267	178	193	161	162	248	139	**1813**
9	BHARATPUR	438	23	45	109	168	241	216	194	**1434**
10	BANSWARA	5	82	312	440	211	113	115	75	**1353**
11	S. MADHOPUR	131	297	349	155	68	97	143	113	**1353**
12	JODHPUR	325	0	2	4	10	31	231	610	**1213**
13	JAISALMER	67	134	223	100	122	102	191	187	**1126**
14	NAGAUR	245	193	175	40	62	86	68	100	**969**
15	DUNGARPUR	23	68	85	317	107	101	132	93	**926**
16	BUNDI	18	3	27	329	89	53	58	319	**896**
17	CHITTORGARH	33	65	49	204	105	92	135	128	**811**
18	ALWAR	161	90	153	76	85	70	36	88	**759**
19	JAIPUR	73	50	31	96	64	64	125	256	**759**
20	RAJSAMAND	112	57	94	38	93	105	116	91	**706**
21	DAUSA	90	30	18	34	27	45	183	251	**678**
22	KARAULI	131	60	88	117	74	77	58	50	**655**
23	AJMER	122	133	11	39	65	49	88	76	**583**
24	SRI GANGANAGAR	33	51	128	17	27	19	43	262	**580**
25	PALI	35	21	49	43	24	22	55	301	**550**
26	BARAN	35	32	2	32	104	114	103	124	**546**
27	SIROHI	5	5	0	0	0	0	374	56	**440**
28	CHURU	181	6	35	53	64	40	30	14	**423**
29	TONK	49	25	51	51	46	43	47	41	**353**
30	HANUMANGARH	24	6	6	17	10	9	12	198	**282**
31	KOTA	9	4	16	38	22	23	25	44	**181**
32	JHUNJHUNU	1	1	0	8	1	1	16	45	**73**
33	SIKAR	2	0	0	0	1	1	12	24	**40**
	Total	5258	3484	3541	4506	3773	3634	10227	7070	**41493**

Scanned with CamScanner

दो गज दूरी, मास्क जरूरी
सावधानी ही सुरक्षा

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/पार्ट फाईल/00423 जयपुर, दिनांक : 07 DEC 2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषयः– नरेगा सॉफ्ट पर Rejected Transactions का पुनः FTO जनरेट करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा की धारा–2 के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी भुगतान उनके खाते में पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत ऑनलाईन भुगतान की प्रकिया में कई बार पूर्ण FTO अथवा FTO में से कुछ Transactions किसी कारणवश reject हो जाते है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आदिनांक तक 40 हजार rejected Transactions प्रदर्शित हो रहे है। इन Transactions को reprocess किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

I. जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक साप्ताहिक रूप से reject हो रहे श्रमिक भुगतान की समीक्षा करेगें एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी reject हुए Transactions को अधिकतम 5 दिवस में reprocess करवाये जाने की कार्यवाही विकास अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी के स्तर से करवायेगें।

II. Reject हुए Transactions को reprocess किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

   a. यदि reject हुए FTO/Transactions, 'Account Based' है। इस स्थिति में बैंक खाते की सही जानकारी श्रमिक से प्राप्त कर इसका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

   b. यदि reject हुए FTO/Transactions, 'AADHAAR Based' है उस स्थिति में श्रमिक का भुगतान 'Account Based' करवाया जावे।

   c. कई बार कुछ Transactions दो या अधिक बार reject हो जाते है तो इस स्थिति में यदि Transactions, 'Account Based' है तो बैंक खाते का सही इन्द्राज पीओ लॉगिन से कर उसे जिला स्तर से सत्यापित कराया जावे। जिला स्तर से सत्यापन के पश्चात् पीओ लॉगिन में Transactions भुगतान हेतु वेजलिस्ट जनरेशन के लिए उपलब्ध होगी।

Scanned with CamScanner

दो गज दूरी, मास्क ज़रूरी
सावधानी ही सुरक्षा

d. यदि दो या अधिक बार reject हुए Transactions, 'AADHAAR Based' है तो इस स्थिति में बिन्दु संख्या (b) के अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात् Transaction जिला स्तर से सत्यापित कराया जाकर भुगतान की कार्यवाही संपादित की जावे।

e. Reject हुए Transactions को reprocess करने हेतु यदि किसी बैंक शाखा द्वारा श्रमिक को कॉपरेट नहीं किया जाता है एवं श्रमिक द्वारा इसके बारे में पंचायत समिति कार्यालय में अवगत कराया जाता है तो विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर श्रमिक की समस्या का निराकरण करवाया जावे।

नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध रिपोर्ट संख्या R8.1.5 Rejected Transaction Reconciliation का नियमित रूप से अवलोकन किया जावे। इस रिपोर्ट में गत वित्तीय वर्षों के reject हुए Transactions की प्रगति भी प्रदर्शित होती है। अतः वर्तमान एवं गत समस्त वित्तीय वर्षों के reject हुए Transactions को reprocess किये जाने हेतु उक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु राज्य स्तर पर Rejection reason wise मार्गदर्शिका तैयार की गई है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इस मार्गदर्शिका के आधार पर rejected Transactions को तुरंत reprocess करने के संबंध में सभी विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक रूप से निर्देशित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

3/12

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2 विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

आयुक्त, ईजीएस

Scanned with CamScanner

S.N.	Rejection Reason	Mechanism
1	Inactive Aadhaar	Reject हुए FTO/Transactions, 'AADHAAR Base' है उस स्थिति में श्रमिक का भुगतान 'Account Based' करवाया जावे।
2	Aadhaar Mapping does not exist/Aadhaar number not mapped to IIN	
3	No such Account/Account does not Exist	Reject हुए FTO/Transactions, 'Account Based' है। इस स्थिति में बैंक खाते की सही जानकारी श्रमिक से प्राप्त कर इसका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में कराया जावे।
4	Account Blocked/ Frozen/Dormant Account / Account Inoperative	इस स्थिति में श्रमिक द्वारा स्वंय के बैंक खाते से कोई Transactions किया जावे एवं आवश्यकता होने पर बैंक शाखा में सम्पर्क किया जावे।
5	Customer to Refer to Branch	श्रमिक द्वारा व्यक्तिशः बैंक शाखा में सम्पर्क किया जावे।
6	Account Closed or Transferred	इस स्थिति में श्रमिक द्वारा नया बैंक खाता खुलवाया जावे एवं इसका विवरण नरेगा सॉफ्ट पर फिज करवाया जावे।
7	Participant not mapped to product	यह rejection reason तब आता है जब कोई बैंक दुसरे बैंक में merge हो जाता है। इस स्थिति में IFS Code बदलता है। अतः परिवर्तित IFS Code को नरेगा सॉफ्ट में फिज कर भुगतान की कार्यवाही की जावे।
8	Invalid Account (NRE/PPF/CC)	इस स्थिति में श्रमिक को नया बचत खाता खुलवाने हेतु अवगत करवाया जावे एवं इसका विवरण नरेगा सॉफ्ट पर फिज करवाया जावे।
9	Account reached maximum credit limit per transaction or limit set on account by bank	श्रमिक द्वारा बैंक शाखा में सम्पर्क कर स्वंय के बैंक खाते को सामान्य बचत खाते में परिवर्तित करवाया जावे अथवा नया बैंक खाता खुलवाया जावे एवं इसका विवरण नरेगा सॉफ्ट पर फिज करवाया जावे।
10	KYC Documents Pending	श्रमिक द्वारा स्वयं की ID एवं address proof document के साथ बैंक शाखा में सम्पर्क किया जावे।
11	INVALID BANK IDENTIFIER	श्रमिक के बैंक खाता संख्या एवं IFS Code को चेक कर अपडेट किया जावे।

Scanned with CamScanner